निषाद मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित.दमुआ

उपविधियां

1. नाम, पता तथा कार्यक्षेत्र -

इस संस्था का नाम - निषाद मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित..दमुआ रहेगा और इसका पंजीकृत किया हुआ पता स्थान दमुआ...डाकघर....दमुआ. विकासखण्ड...जुन्नारदेव..... तहसील.... जुन्नारदेव.. जिला छिन्दवाड़ा होगा ।

इसका कार्यक्षेत्र......विकास खंड जुन्नारदेव के ग्राम दमुआ के जलाषय तक सीमित रहेगा।

नोटः- पंजीकृत पते में कोई भी परिवर्तन की सूचना 30 दिन में उप पंजीयक सहकारी समितियां छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेष को दी जावेगी । पते में परिवर्तन उपनियमों के संषोधन द्वारा किया जा सकेगा ।

2. उद्देश्य -

इस संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :-

1) मछली पकड़ने के ठेके लेना और ठेके क्षेत्र में मछलियां पकड़वाने की व्यवस्था करना अथवा मछली पकड़ने का अधिकार संस्था के सदस्यों को देना ।

2) सदस्यों को मछली पकड़ने के लिये लगने वाली वस्तुएं जाल, डोंगा इत्यादि खरीदने के लिये, लायसेन्स का शुल्क देने के लिए तथा अन्य आवष्यक कार्यो के लिये ऋण देना ।

3) संस्था में मछली पकड़ने के साधन क्रय करके रखना और वे सदस्यों को बेचना अथवा किराये से देना ।

4) मछलियों की नरसरी रखना, उनकी नस्ल का सुधार करना और इस प्रकार उनके उत्पादन में वृद्धि करना ।

5) सदस्यों, को उनके बच्चों और स्त्रियों द्वारा पकड़ी हुई मछलियों को योग्य भाव से बेचने की व्यवस्था करना ।

6) मछलियां अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए शीतागार में रखने की व्यवस्था करना ।

7) सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उन्नति के लिये योजना बनाना और उनको व्यवहार में लाना ।

8) सदस्यों में सहकार्य, स्वावलम्बन और मितव्ययता की भावना निर्माण करना और उसे कार्य रूप में लाना ।

9) अन्य वे सब काम करना जो उपरोक्त उद्देष्यों की पूर्ति के लिये करना आवष्यक हो ।

2 (अ) परिभाषायें -

”अधिनियम” से तात्पर्य मध्यप्रदेष सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 से है ।

2. "नियम" से तात्पर्य मध्यप्रदेष सहकारी सोसायटी नियम 1962 से है ।

3. "सहकारी वर्ष" से तात्पर्य प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है ।

4. "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है ।

5. "उपविधियों" से तात्पर्य अधिनियमों के अन्तर्गत इस संस्था की पंजीकृत अथवा पंजीकृत मान्य की हुई उपविधि से है तथा जो तत्समय प्रवृत्त हो और उनके अन्तर्गत उपविधियों का पंजीकृत संषोधन आता हो ।

6. "पंजीयक" से तात्पर्य धारा -3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेष के पंजीयक से है अथवा उस अधिकारी से है जिसे संस्था के संबंध में पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ।

7. "लाभांष" से तात्पर्य किसी सदस्य को उसके द्वारा धारित अंषों के मूल्य के अनुपात में संस्था के लाभ में से चुकाई गई रकम से है

8. "सदस्य" से तात्पर्य इस संस्था की रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाले सदस्य जो संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो एवं जिसे इन उनविधियों के अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो ।

9. "अध्यक्ष" से तात्पर्य सहकारी अधिनियम/ नियम तथा संस्था की उपविधियों के अनुसार नामांकित/ निर्वाचित अध्यक्ष/ सभापति या चेयरमेन से है ।

10. "कार्यक्षेत्र" से तात्पर्य वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जा सकती है

11. "संचालक मण्डल" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत गठित संचालक मण्डल से है, चाहे वह प्रबंध समिति, प्रबंधकारिणी समिति या किसी भी नाम से जाना जाता हो ।

12. "प्रबंधक/कर्मचारी" से तात्पर्य संस्था के कार्य संचालन के लिये प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त सेवारत अधिकारी/ कर्मचारी से है ।

13. "राज्य शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेष शासन से है ।

14. "सेवा नियम" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत पंजीयक द्वारा प्रसारित सेवा नियमों से है ।

15. "संस्था" से तात्पर्य उपविधि क्रमांक 1 में वर्णित संस्था से है ।

16. "प्रतिनिधि" से तात्पर्य संस्था का ऐसा सदस्य जो संस्था का प्रतिनिधित्व अन्य संस्था में करने के लिये प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित किया गया हो ।

17. "विनिर्दिष्ट पद" से अभिप्रेत है संस्था के अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या उप सभापति का पद।

18. "वित्तदायी बैंक" से अभिप्रेत है कोई ऐसी बैंक जिसका उद्देष्य अन्य सोसायटीज का या उसके व्यक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियां को सृजित करना है और उसके अन्तर्गत आते हैं म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्या.भोपाल तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जो संस्था को उसके व्यवहार हेतु ऋणों की आपूर्ति करते हैं।

19. ‘‘प्राधिकारी‘‘ से तात्पर्य है धारा 57-ग की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी।

20. “निर्वाचन अधिकारी” या “रिटर्निंग अधिकारी” से तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति जिसे निर्वाचन प्राधिकारी ने साधारण या विषेष आदेष द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियुक्त किया हो कि वह इस संस्था के निर्वाचन हेतु अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करें ।

21. ‘‘समन्वयक‘‘ से तात्पर्य है सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन संचालित कराने के लिये प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो जिला स्तर पर उप/सहायक रजिस्ट्रार ।

22. ‘‘मतदान अधिकारी‘‘ से तात्पर्य है मतदान केन्द्रों पर मतदान संचालित कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी ।

23. ‘‘पीठासीन अधिकारी‘‘ से तात्पर्य है मतदान केन्द्रों पर मतदान कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी ।

24. ‘‘रजिस्ट्रीकरण अधिकारी‘‘ से तात्पर्य है संस्था के निर्वाचन संचालित कराने हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी , इसमे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी सम्मिलित होगा ।

25. ‘‘मतगणक‘‘ से तात्पर्य है मतों की गणना करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ।

26. “मुख्यकार्यपालन अधिकारी” से तात्पर्य संस्था के प्रबंध हेतु नियुक्त संस्था प्रबंधक है, जो संचालक मण्डल के अधीक्षण नियंत्रण और निर्देषन के अध्याधीन कार्य करेगा ।

27. “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य” वह होगा, जो शासन द्वारा मध्यप्रदेष सहकारी समितियां अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों में की गई व्याख्या के अन्तर्गत आता हो ।

28. ‘‘संपरीक्षक‘‘ से तात्पर्य है सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण/संपरीक्षा के लिये नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति।

29. ‘‘संपरीक्षक फर्म‘‘ से तात्पर्य है सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण/संपरीक्षा के लिये प्राधिकृत कोई चार्टेड अकाउन्टेन्ट/सनदी लेखापाल फर्म ।

3. पूंजी - पूंजी निम्नलिखित साधनों से जमा की जावेगी -

1) प्रवेष शुल्क के द्वारा ।

2) अंष बेच कर ।

3) अमानतें जमा करके ।

4) ऋण प्राप्त करके ।

5) अनुदान आदि लेकर और

6) लाभ में से रक्षित निधि आदि बनाकर ।

ऋण तथा अमानत की रकम उप पंजीयक सहकारी समितियां की स्वीकृति के बिना अंष की वसूली आई हुई रकम तथा रक्षित निधि के आठ गुना से अधिक नहीं होगी

पूंजी उन कार्यो में लगाई जावेगी जो कि उपविधि क्रमांक 2 में संस्था के उद्देष्यों के अन्तर्गत दिये गये हैं, शेष पूंजी जब तक कि उसकी इन कार्यो के लिये आवष्यकता न हो, म.प्र.सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 44 के अनुसार लगाई जावेगी ।

4. सदस्यता - इस संस्था के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति हो सकेंगे:-

1. वे व्यक्ति जो संस्था के कार्यक्षेत्र में रहते हों और मछली पालन या मछली पकड़ने, मछली बीज उत्पादन या मछली बेचने का धन्धा करते हों ।

2. जिनका आचरण अच्छा हो और जिन्होंने इन उपविधियों को समझ लिया हो ।

3. जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो और जो अनुबन्ध करने के योग्य हों परन्तु मृत सदस्यों के अल्पवयस्क उत्तराधिकारियों के लिये आयु का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ।

4. वह व्यक्ति जो किसी सहकारी संस्था अथवा शासकीय सेवा से पदच्युत (डिसमिस) न किया गया हो ।

5. वित्त पोषक बैंक भी संस्था का सदस्य बनने के लिए योग्य होंगे ।

6. पंजीयक सहकारी संस्थायें की साधारणतः विषेष अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति का सदस्य इस संस्था का सदस्य नहीं बन सकेगा ।

7. कोई भी व्यक्ति जिसने दिवालिया होने का आवेदन किया हो, या दिवालिया घोषित किया हो अथवा जिसको किसी अपराध में सजा हुई हो परन्तु राजनैतिक ढंक की सजा को छोड़कर या अन्य कोई नैतिकता सम्बन्धी अपराध किया हो, जो क्षमा न किया गया हो अथवा बदल न गया हो, परन्तु यह अयोग्यता तब लागू नहीं होती जब तक कि सजा मिले हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हो ।

8. जो व्यक्ति पानी में घुसकर मछली पकड़ते हों ।

9. दो सीजन तक यदि कोई सदस्य मत्स्याखेट नहीं करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जावेगी परन्तु ऐसा उसी दषा में किया जा सकेगा जबकि संस्था के पास सदस्यों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त जलक्षेत्र उपलब्ध हो ।

5. मत्स्य सहकारी समितियों मे केवल वही व्यक्ति सदस्य होने के पात्र होंगे जो संस्था के कार्य क्षेत्र में रहते हों । पानी में उतर कर मछली पकड़ने का कार्य करते हों, या मछली बेचने का धन्धा करते हों, अथवा मछली पालन और मछली बीज उत्पादन करते हों । यदि समिति का कोई सदस्य उक्त कार्यो से अनभिज्ञ हो या उक्त कार्य करने में अक्षम हो या जो वास्तव में मछुआरा नहीं हो वह सदस्यता का पात्र नहीं होगा । इसके अतिरिक्त जिनका आचरण अच्छा हो और जिन्होंने इन उपविधियों को समझ लिया हो । जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और अनुबंध करने के योग्य हो। जो इस प्रकार की दूसरी सहकारी संस्था के सदस्य न हों ।

5(1) आरंभ में वे सदस्य होंगे जिन्होंने संस्था के पंजीयन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हों, इसके बाद नये सदस्य समिति की स्वीकृति से भरती किये जावेंगे, किन्तु नये सदस्यों को सदस्यता देने के पूर्व उनके मछुआ होने की पहचान व प्रमाणीकरण मत्स्य विभाग के माध्यम से कराया जाना आवष्यक होगा ।

6 सदस्यों को भर्ती करने के सम्बन्ध में समिति की सदस्यता पाने के लिए या अंष खरीदने के लिये समिति के प्रबन्धक के पास ऐसे फार्म पर जो समिति में ठहराव हो आवेदन पत्र देना होगा ।

ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम, नियम या उपनियमों के उपबन्धों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिये सम्यक रूप से अर्हित (योग्य) हो संस्था में सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्ति के दिनांक से सदस्य के रूप में स्वीकृत माना जावेगा

परन्तु पंजीयक या तो स्वप्रेरणा से किसी भी समय या संस्था या व्यक्ति के ऐसे आवेदन पत्र को पूर्ववत तारीख से 15 दिन के भीतर किया गया हो तथा संस्था या सम्बन्धित व्यक्ति को युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात पंजीयक को आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर आदेष द्वारा उस व्यक्ति के सम्बन्ध में यह घोषित कर सकेगा कि यह सदस्य वर्णित कारणों से संस्था की सदस्यता का पात्र नहीं है ।

7. प्रत्येक सदस्य को इस करार पत्र पर हस्ताक्षर करना होंगे कि:-

1) वह अपनी मछली जो संस्था को दिये जाने योग्य हो, संस्था को देगा और समिति की लेखी अनुमति के बिना अन्य किसी व्यक्ति को अथवा संस्था को नहीं बेचेगा, इसके विरूद्ध आरण करने पर समिति द्वारा तय किया हुआ दण्ड, जो 10.00 रूपये से अधिक नहीं होगा, जमा करेगा ।

2) मछली संवर्धन के सम्बन्ध में जो सूचनायें उसको दी गई हो उनका पालन करेगा, यदि इसका पालन न करें तो समिति उस पर दंड करेगी, वह उसे जमा करना होगा, यह दण्ड 5.00 रू. से अधिक नहीं होगा ।

3) वह संस्था की उपविधियों का इन उपविधियों के अन्तर्गत व्यापक सम्मेलन द्वारा बनाई गई पोट-उपविधियों का और इन दोनों में जो संषोधन उसकी सदस्यता की अवधि में हो उनका वह पूर्ण रूप से पालन करेगा।

8. प्रत्येक सदस्य को सदस्यों के रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होंगे और अपना उत्तराधिकारी (जो यदि संस्था का कोई पदाधिकारी अथवा नौकर हो तो, समिति की स्वीकृति आवष्यक होगी) मनोनीत करने का अधिकार होगा, जिसको सदस्य के मरने पर उसकी कोई रकम संस्था में जमा हो तो वह दी जा सके अथवा उसके नाम पर परिवर्तित की जा सके, उत्तराधिकारी की मनोनीतगी और उसके बाद उसमें परिवर्तन दो साक्षियों के समक्ष लिखे जावेंगे ।

9. सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी -

1) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ,

2) संस्था के एक भी अंष का स्वामी न रहने पर ,

3) प्रबंधक के नाम 1 माह पहले त्यागपत्र देने पर और उसकी समिति से स्वीकृति होने पर परन्तु जिस पर संस्था का ऋण हो अथवा जो किसी सदस्य ने न चुकाये हुए ऋण का प्रतिभू हो, और जिसको सदस्य हुए कम से कम एक वर्ष न हुआ हो, त्यागपत्र नहीं दे सकेगा ,

4) व्यापक सम्मेलन में 2/3 सदस्यों के बहुमत से निकाल दिये जाने पर

सदस्य का निष्कासन -

10. प्रबन्धकारिणी समिति निष्कासन के प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित किए गए संकल्प द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित कर सकेगा

अ) कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि संस्था की साख को क्षति पहुंचाने की संभावना हो । या जिससे उसकी कुख्याती होने की संभावना हो, या

ब) मिथ्या कथनों द्वारा संस्था को जानबूझकर प्रवंचित करता है या

द) कोई ऐसा कारोबार करता है जो संस्था द्वारा किए जा रहे कारोबार की प्रतिद्वंदिता में आता है या जिसके सम्बन्ध में यह संभावना हो कि वह संस्था द्वारा किए गए कारोबार की प्रतिद्वंदिता में आवेगा या

इ) उपविधि क्रमांक. 4 में वर्णित सदस्यता सम्बन्धी पात्रताएं धारण करने में चूक करता है परन्तु कोई भी संकल्प तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को उसे निष्कासित करने सम्बन्धी प्रस्तावना की 15 दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा न दे दी गई हो, और जब तक कि उसे अपने मामले में समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो ।

(इ)(2) निष्कासित सदस्यों को समिति के निर्णय की संसूचना के 30 (तीस) दिवस के भीतर पंजीयक सहकारी संस्थायें के पास विवाद प्रस्तुत करने का अधिकार होगा पंजीयक का निर्णय समिति एवं समिति के निर्णय से प्रभावित सदस्य पर लागू होगा ।

(इ)(3) जिस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो संस्था द्वारा उसकी देय धन राषि का भुगतान सदस्य पर बकाया हो तो उसके समायोजन के उपरान्त संस्था उसका भुगतान कर देगी किन्तु यह सदस्य सदस्यता समाप्ति की तिथि से 2 वर्ष तक संस्था के उन सभी ऋणों के लिए देनदार होगा जो उसकी सदस्यता समाप्ति की तिथि को थी ।

(इ)(4) ऐसा व्यक्ति जो उपविधि क्रमांक 4 के तहत समिति की सदस्यता के लिये पात्र नहीं है और समिति द्वारा सदस्यता से पृथक नहीं किया जाता है तो पंजीयक एक निर्धारित अवधि में ऐसे व्यक्ति को युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर देकर समिति की सदस्यता से पृथक कर सकेगा । सदस्यता से निष्कासित व्यक्ति की समिति में धारित समस्त अंष राषि को राजसात किया जा सकेगा ।

(इ)(5) कोई भी व्यक्ति जिसे समिति की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है ऐसे निष्कासन की तारीख से छह वर्ष की कालावधि तक पुनः प्रवेष प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

11 संस्था जो ऋण तथा अमानतें आदि लें उनके लिये सदस्यों का दायित्व अंष या अंषों द्वारा दर्षाई गई उस पूंजी तक सीमित होगा, जिसका ऐसा अंषधारी पंजीकृत अंषधारी है ।

ख्1, पिछले सदस्यों का दायित्व संस्था के उस ऋण तथा अमानतों आदि के भार के लिये जो संस्था उस पर उसके अलग होने पर उसके अलग होने के समय हो, उसके अलग होने से 10 (दस) वर्ष तक रहेगी ।

ख्2, मरे हुये सदस्य की सम्पत्ति उस ऋण तथा अमानत आदि के भार के लिये जो उसके मरने की तारीख को संस्था पर हो, सदस्य के मरने की तारीख से 10(दस) वर्ष तक मृत सदस्य का उत्तराधिकारी उत्तरदायी रहेगा ।

अंषपूंजी -

12 अंषों की पूंजी 25000 रूपयों (पच्चीस हजार रूपये) की होगी, जिसमें 100.00 रूपयों के 250 (दो सौ पचास) अंष होंगे, इसमें कमी अथवा वृद्धि व्यापक सम्मेलन के ठहराव से तथा उप पंजीयक सहकारी समितियां की स्वीकृति से की जा सकेगी ।

13. प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंष लेना अनिवार्य होगा, कोई भी सदस्य उस समय तक वसूल आयी हुई कुल अंषों की रकम के 1/5 से अधिक मूल्य के अंष नहीं ले सकेगा, यदि किसी कारण से किसी सदस्य के पास इनसे अधिक अंष हो जावे तो यह अधिक अंष समिति नये अंष लेने वालों को बिकवा देगी, अंष लेने के प्रार्थना पत्रों का निर्णय प्रबन्धकारिणी समिति करेगी, एक अंष प्रमाण पत्र प्रत्येक लिए हुए अंष अथवा अंषों के लिये दिया जावेगा, जिस पर संस्था की मुद्रा लगाई जावेगी और समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधक/मुख्य कार्यपालक के हस्ताक्षर होंगे ।

14. अंष की पूरी रकम एक साथ अथवा अधिक से अधिक दो मासिक किष्तों में जमा करना होेंगी, किस्त की रकम मछलियों के मूल्य से जो सदस्य ने संस्था को बेची हो काटी जा सकती है ।

15. कोई सदस्य अंष को कम से कम एक वर्ष रखने के बाद, समित की स्वीकृति से किसी दूसरे सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसको सदस्य बनाना समिति ने स्वीकृत किया हो, हस्तान्तरण कर सकता है ।

16. उस सदस्य को जिसका सम्बन्ध संस्था के साथ उपविधि क्रमांक 9 की पोट कालम नं. 3 अथवा 4 के अनुसार छूट गया हो उसके अंष के उस समय के मूल्य के समान उतनी रकम जो म.प्र.सहकारी समिति नियम 1962 के नियमों के अनुसार प्रबन्धकारिणी समिति निष्चित करें और जो उसकी जमा हुई रकम से अधिक न हो, उसके अलग होने से 6 माह के भीतर वापिस दी जावेगी, परन्तु किसी वर्ष में इस प्रकार से अंषों की उस रकम के जो गत 31 मार्च को जमा हो 1/10 प्रतिषत अधिक रकम वापिस नहीं की जा सकेगी, और उसमें से वह रकम जो इस संस्था को सदस्य से लेना हो, काट ली जावेगी ।

17. किसी सदस्य के मरने पर समिति उसके अंषों के उस समय के मूल्य के समान उतनी रकम जो म.प्र.सहकारी समिति नियम 1962 के नियमों के अनुसार प्रबन्धकारिणी समिति निष्चित करे और जो उसने जमा की हुई रकम से अधिक न हो में से उस रकम को घटाकर जो उस पर संस्था की हो बाकी रकम एक वर्ष के भीतर उस सदस्य को वापिस देगी ।

व्यापक सम्मेलन -

18. संस्था के कारोबार के संचालन के सम्बन्ध में व्यापक सम्मेलन को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे ।

19. वार्षिक व्यापक सम्मेलन की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 मास के भीतर होगी । इसके अतिरिक्त जब आवष्यकता हो प्रबन्धकारिणी समिति के ठहराव पर अथवा संस्था के कम से कम एक बटे दस सदस्यों के लेखी आवेदन पर जिसमें व्यापक सम्मेलन बुलाने का उद्देष्य बताया गया हो अथवा उस संघ संस्था के जिसकी यह संस्था सदस्य हो, के विधिवत अधिकृत अधिकारी की प्रेरणा पर अथवा उप पंजीयक सहकारी समितियां के आदेष

पर विषेष व्यापक सम्मेलन की बैठक एक मास के भीतर अवष्य बुलाई जावेगी, पंजीयक के पश्चात सदस्यों का जो प्रथम व्यापक सम्मेलन हो, उसको वे ही अधिकार होंगे जो इन उपविधियों में वार्षिक व्यापक सम्मेलन को प्राप्त हैं ।

20. व्यापक सम्मेलन की बैठक के लिये गणपूर्ति संस्था की सदस्यों की संख्या के जो व्यापक सम्मेलन की सूचना देने की तारीख की हो, एक बटे दस या 50 सदस्य, इनमें से जो भी कम हो होगी । बैठक के लिये नियत किये हुए समय पर गणपूर्ति न हो अथवा सम्मेलन का काम शुरू होने के पष्चात गणपूर्ति न हो तो यदि वह बैठक सदस्यों के प्रार्थना पत्र पर की गई हो तो निरस्त कर दी जावेगी । और अन्य स्थिति में वह दूसरी ऐसी तारीख और समय के लिये स्थगित कर दी जावेगी जो उपस्थित सदस्य नियत करें अथवा जिसकी सूचना पहिले दी जा चुकी हो, स्थगित की हुई बैठक में नियत समय के आधा घण्टे के भीतर गणपूर्ति न हो तो उपस्थित सदस्य ही सब काम कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में पहले की कार्य सूची में लिखे हुए प्रष्नों के अतिरिक्त किसी प्रष्न पर विचार नहीं किया जावेगा ।

21. आम सभा की कार्य सूंची, दिनांक, समय तथा स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को 14 दिवस पूर्व तथा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधान अनुसार दी जावेगी। उपविधियों में संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूपरेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी।

21ख्1,. साधारण/विषेष सम्मिलन का कार्यवाही विवरण/कार्यवृत्त साधारण/विषेष सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को सम्मिलन की समाप्ति के 30 दिन के भीतर प्रेषित किया जाएगा।

22. वार्षिक व्यापक सम्मेलन में अन्य मामलों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों केे अनुसार प्रस्तुत हों निम्नलिखित काम होंगे:-

ख्1, इन उपविधियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव करना ।(यदि आवष्यक हो तो)

ख्2, वार्षिक पत्रक और उनके सम्बन्धी समिति के वृत्तान्त पर विचार करना ।

ख्3, अंकेक्षक/संपरीक्षक नियुक्त करना एवं आगामी वर्ष का कार्यक्रम स्वीकार करना, तथा आय व्यय की स्वीकृति देना।

ख्4, लाभ का वितरण स्वीकृत करना परन्तु उपविधि क्रमांक 68(3), (4) के अन्तर्गत जो सिफारिष समिति ने की हो उसमें व्यापक सम्मेलन वृद्धि नहीं करेगी ।

ख्5, संस्था के खर्चे का बजट स्वीकृत करना ।

ख्6, यह निष्चित करना कि अमानतें कितनी किस अवधि के लिए और किस ब्याज की दर से ली जावे ।

ख्7, मछली पकड़ने के औजार तथा अन्य वस्तुऐं किराये पर देने के प्रतिबन्ध निष्चित करना ।

ख्8, उप पंजीयक सहकारी समितियां, अंकेक्षक (आडिटर) तथा अन्य सक्षम अधिकारियों के आडिट तथा निरीक्षण टीपों पर समिति ने जो कार्यवाही की जो उसे देखना और जहां आवष्यक हो उचित आज्ञायें देना ।

ख्9, संस्था के उद्देष्यों की पूर्ति केे लिये आवष्यक उपविधियां बनाना ।

ख्10, सदस्यों को ऋण देने की सीमा निर्धारित करना तथा अन्य विषयों पर जो समिति के सदस्य प्रस्तुत करें, विचार करना ।

व्यापक सम्मेलन में उपस्थित सदस्य के 2/3 के बहुमत से कोई सदस्य कार्यसूची में न दिया हुआ प्रष्न प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु ऐसा प्रष्न किसी सदस्य को निकाल दिये जाने अथवा निकाले हुए सदस्यों को फिर से सम्मिलित करने अथवा उपविधियों में संषोधन किये जाने के बारे में नहीं होगा ।

23. संस्था के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में संस्था का अन्य सदस्य जिसका कि उपस्थित सदस्य निर्वाचन करें, व्यापक सम्मेलन का अध्यक्ष होगा ।

24. व्यापक सम्मेलन में प्रत्येक उपस्थित सदस्य को, उसके संस्था में कितने ही अंष क्यों न हों, केवल एक मत देने का अधिकार होगा, परन्तु वह सदस्य जिसकी और अंष की मांग की रकम बाकी हो मत नहीं दे सकेगा, मतगणना हाथ उठाकर अथवा उस नीति से जो सभापति निष्चित करें की जायेगी ।

उन मामलोंें के अतिरिक्त जिनके निर्णय के लिए म.प्र.सहकारी अधिनियम 1960 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों तथा उपविधियों में विषेष बहुमत रखा गया है, अन्य मामलों का निर्णय साधारण बहुमत से रहेगा, दोनों पक्षों के समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

प्रबन्धकारिणी समितिः-

25. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति 12 सदस्यों की होगी । प्रबंधकारिणी समिति में निम्न प्रकार से 12 सदस्य होंगे ।

(क) नामांकित सदस्य - 1 सदस्य

जिले का कलेक्टर या - 1 सदस्य

उनका नामांकित प्रतिनिधि

(ख) पदेन सदस्य - 2 सदस्य

1) उप पंजीयक सहकारी समितियां

या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि - 1 सदस्य

2) सहायक संचालक मत्स्योद्योग मत्स्य - 1 सदस्य

विभाग या उनके द्वारा

नामांकित प्रतिनिधि

(ग) निर्वाचित सदस्य - 9 सदस्य

(अ) यदि संस्था में अनुसूचित जाति/जन जाति प्रवर्ग के वैयक्तिक सदस्य हैं तो एक स्थान उस प्रवर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित रखा जावेगा जिसके अन्य की अपेक्षा अधिक सदस्य हैं।

(ब) ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसायटी के संचालक मंडल मे जिसमे वैयक्तिक महिला सदस्य हों, दो पद महिला वर्ग के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।

कोई भी सदस्य संस्था की प्रबंधकारिणी समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं रहेगा यदि वह इस संस्था या अन्य संस्था के लिये ऋण या ऋणों को चुकाने में 12 माह से अधिक विलम्ब का दोषी हो ।

26. प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा । प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक माह में एक बार अवष्य होगी । प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्षों का चुनाव करेंगे।

27. यदि किसी समय प्रबन्धकारिणी समिति में किसी सदस्य का पद, संस्था द्वारा अन्य सहकारी संस्थाओं को भेजे गए प्रतिनिधि या संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद त्यागपत्र देने, देहावसान होने या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो ऐसे रिक्त हुए पद की पूर्ति हेतु इस हेतु बुलाई गई बैठक मे उसी वर्ग के सदस्यों मे से की जावेगी ऐसी बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति होना आवष्यक होगा ।

28ख्1,. प्रबन्धकारिणी समिति का प्रत्येक सदस्य संस्था का सदस्य होगा । तथा अपने कार्यकाल में कम से कम एक अंष का स्वामी रहेगा । जिसके पूरे मूल्य का उसने चुकारा कर दिया हो तथा जिसे ऐसे चुनाव की दिनांक के पूर्व सदस्य बने एक वर्ष पूरा हो चुका हो ।

28ख्2,. सहकारी अधिनियम की धारा 58(बी) के अन्तर्गत अधिभार हो गया हो परन्तु वह धारा 58(बी)(1) के आदेष के अनुपालन में वह अधिभारित राषि मय ब्याज के अदा कर देता है तो राषि पटाने के 5 वर्ष के पश्चात् प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाने के लिए पात्र होगा ।

28ख्3,. सहकारी अधिनियम की धारा 48, 49, 50 एवं 53 व अन्य धारा तथा सहकारी नियम क्रमांक 44 एवं 45 में उपबन्धित अपात्रता धारण कर लेता हो ।

28ख्4,. प्रबन्धकारिणी समिति का कोई भी सदस्य निरन्तर तीन बैठकों में प्रबन्धकारिणी की बैठक में बिना कारण अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी तथा ऐसे सदस्य को प्रबन्धकारिणी समिति की आगामी बैठक में आमंत्रित नहीं किया जावेगा। उपरोक्त कारणों से अपात्र सदस्य अपना प्रतिनिधित्व दूसरी संस्था में नहीं कर सकेगा ।

28ख्5,. अध्यक्ष या सभापति अथवा उपाध्यक्ष या उप सभापति के लिये अयोग्यता -

(अ) कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति अथवा उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य है या जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मंडी बोर्ड या मंडी समिति में कोई पद धारण करता है, किन्तु वे व्यक्ति किसी समिति के संचालक या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो सकेंगे ।

(ब) कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के किसी विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित होने या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा और वह उस रूप में अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा यदि वह उस सोसाइटी में कोई विनिर्दिष्ट पद अपने निर्वाचन या अपनी नियुक्ति या दोनों कालावधि को सम्मिलित करते हुए, दो लगातार कार्यकालों तक या ग्यारह वर्षो की लगातार कालावधि तक, इनमें से जो भी कम हो, धारण कर चुका हो। परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसे

विनिर्दिष्ट पद पर तब तक पुनःनिर्वाचित या पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि एक पूरे कार्यकाल के बराबर की कालावधि का अवसान न हो गया हो ।

28ख्6,. यदि कोई संचालक पदाधिकारी, प्रतिनिधि हो, सहकारी अधिनियम की धारा 50(क) के अन्तर्गत कोई निरर्हता व्याप्त है, तो वह ऐसे पद पर नहीं रह पायेगा, यदि वह सहकारी अधिनियम की धारा 50(क) में विनिर्दिष्ट निरर्हता से निरस्त हो जाता है, उप/सहायक पंजीयक उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा संस्था ऐसे संचालकों/ प्रतिनिधियों की जानकारी ऐसी निरर्हता धारण के 15 दिवस के अंदर उप/सहायक पंजीयक को देगी ।

29. प्रबन्धकारिणी समिति का कोई भी सदस्य व्यापक सम्मेलन के 2/3 मतों से अपने काम करने के समय में हटाया जा सकता है ।

30. प्रबन्धकारिणी समिति अपने में से किसी को अध्यक्ष निर्वाचित करेगी और वह समिति की सब बैठकों में सभापति होगा, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की सब बैठकों में सभापति होगा और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति चुन लेंगे । सब मामलों का निर्णय बहुमत से होगा । दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में सभापति को एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

31. प्रबन्धकारिणी समिति का कोई सदस्य किसी ऐसे मामले पर विचार किये जाने के समय जिससे कि उसका निजी सम्बन्ध हो, समिति की बैठक में सम्मिलित नहीं रह सकेगा ।

32. सब काम जो प्रबन्धकारिणी समिति ने अथवा किसी ने समिति सदस्य होने के नाते किये होंगे, यद्यपि बाद में यह मालूम हो कि समिति का या उसके किसी सदस्य का निर्वाचन म.प्र.सहकारी समिति अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों या इन उपविधियों के विरूद्ध था, उसी प्रकार उचित समझा जावेगा जिस प्रकार कि समिति या उसके किसी ऐसे सदस्य का निर्वाचन उक्त विधान नियम या उपविधियों के अनुसार होने पर उचित होगा ।

33. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य तथा अधिकार नीचे लिखे अनुसार होंगे:-

33ख्1,. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्षों का निर्वाचन करेंगे ।

33ख्2,. जिला सहकारी संघ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं अन्य सहकारी संस्थाओं, जिससे कि यह संस्था सम्बद्ध हो, में संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव करना जिसका कार्यकाल प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यकाल के समरूप होगा ।

33ख्3,. सदस्य बनाना, उनके त्यागपत्र स्वीकार करना और उनको निकालने का प्रष्न व्यापक सम्मेलन में प्रस्तुत करना ।

33ख्4,. अंशों को लेने बेचने तथा वापिस करने के प्रार्थना पत्रों का निर्णय करना और अंषों की किष्तें वसूल करना ।

33ख्5,. ऋण तथा अमानतें लेना और समय पर उनकी वापसी का प्रबन्ध करना, यह तय करना कि संस्था की ओर से ऋण की लिखतम पर कौन हस्ताक्षर करेंगे ।

33ख्6,. ऋण अथवा साख के प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और निष्चय करना कि उनकी मंजूरी दी जावे अथवा नहीं यदि मंजूरी दी जावे तो कितने समय के लिये और किस जमानत पर और यह भी देखना कि दिये हुए ऋण का उपयोग ठीक होता है या नहीं ।

33ख्7,. ऋण के रजिस्टर की जांच करना और भुगती हुई किष्तों की वसूली की कार्यवाही करना ।

33ख्8,. कार्य चलाने के लिये खर्चे की मंजूरी देना सिलक को गिनना और ऋण की किष्त की अवधि बढ़ाने के प्रार्थना पत्रों पर विचार करना ।

33ख्9,. मछली पकड़ने के ठेके लेना, मछली पकड़ने की व्यवस्था करना और सदस्यों को उचित प्रतिबंधों के साथ ठेके के क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार देना मछली पकड़ने के औजार बेचने अथवा किराये पर देने की व्यवस्था करना, मछलियों के क्रय-विक्रय के प्रतिबन्ध निष्चित करना, और उनको सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना ।

33ख्10,. मछलियों की नर्सरी करना और उनके नस्ल सुधार की व्यवस्था करना ।

33ख्11,. प्रबंधक के हिसाब की जांच करना ।

33ख्12,. आडिट रिपोर्ट पर गौर करना और उसकी हिदायतों पर जरूरी कार्यवाही करना, आडिट रिपोर्ट के मिलने की तारीख से दो महिने के अन्दर आडिटर के पास आरोपों के अनुसार दुरूस्ती करके एक रिपोर्ट भेजना और आडिट आरोपों के अनुसार दुरूस्ती की रिपोर्ट को अगले व्यापक सम्मेलन में रखना ।

33ख्13,. उपविधि क्रमांक 35 एवं 36 का पालन करते हुए सब वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्तियां करना, मुअत्तिल करना, सजा देना, बरखास्त करना ।

33ख्14,. प्रबंधक और दूसरे ऐसे कर्मचारियों से जो कि नगदी अथवा दस्तावेज के रखने का काम करते हों जमानत लेना जो पंजीयक सहकारी समितियों द्वारा बताई हुई स्केल से कम न होगी ।

33ख्15,. वार्षिक रिपोर्ट और पत्रक तैयार करना ।

33ख्16,. नालिश दायर करना और जवाबदेही करना और बैंक की अनुमति से ऐसे मुकदमें में समझौता करना, नालिष दायर करने तथा मामले की पैरवी करने के लिये किसी एक अथवा अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करना ।

33ख्17,. मध्यप्रदेष सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 44 के अनुसार पूंजी ब्याज पर लगाने की व्यवस्था करना ।

33ख्18,. आमतौर पर संस्था का कारोबार चलाने के लिये सब आवष्यक काम करना ।

33ख्19,. अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना । प्रबंधकारिणी समिति को अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्य तथा अधिकार पूर्णतया अथवा अंषतया किसी उपसमिति, अध्यक्ष अथवा प्रबंधक को दें ।

33ख्20,. " प्रषिक्षण निधि " के नाम से जानी जाने वाली एक पृथक, निधि का सृजन करना तथा संस्था सदस्यों एवं कर्मचारियों को संस्था एवं सहकारिता की गतिविधियों से संबंधित प्रषिक्षण उपलब्ध कराना ।

33ख्21,.	सभापति और पदाधिकारियों के विरूद्ध अविष्वास प्रस्ताव और उन्हें पद से हटाने के बारे में निर्णय लेना । परन्तु इस प्रयोजन के लिए होने वाले सम्मिलन की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

33ख्22,.	संचालकों द्वारा दिये गये त्याग-पत्रों पर निर्णय लेना ।

33ख्23,.	म.प्र.सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 23 के तहत सदस्य और हिस्सों का रजिस्टर तथा सदस्यों की सूची संधारित करना ।

33ख्24,.	वार्षिक आमसभा की बैठक प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्दर आहूत करवाना ।

33ख्25,.	प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर संस्था की विवरणियां यथा - संस्था के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट, लेखाओं का संपरीक्षित विवरण, साधारण सभा द्वारा यथाअनुमोदित अतिषेष व्ययन के लिए योजना, संस्था की उपविधियों की सूची (यदि कोई हो), साधारण निकाय के सम्मेलन की दिनाॅक की सूचना, निर्वाचन कराना (जब अपेक्षित हो जाये), तथा रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करवाना ।

34.	प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य संस्था का सब कारोबार एक व्यवहार कुषल व्यक्ति के नाते चिन्ता से करेंगे और उस हानि के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि मध्यप्रदेष सहकारी समिति अधिनियम 1960 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों और इन उपविधियों के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में संस्था को हुआ हो ।

35.	प्रबंधक की नियुक्ति सम्बन्धित मछली विक्रय संघ की अनुषंसा से होगी और यदि कोई कहीं ऐसा संघ न हो तो ऋणदाता सहकारी बैंक की स्वीकृति से होगी, यदि उक्त संघ अथवा बैंक के विचार में काम ठीक न करता हो तो उसे अलग करने की वह आज्ञा दे सकती है ।

36.	यह संस्था अपने निजी इच्छा के अनुसार उप पंजीयक सहकारी समितियां की स्वीकृति से प्रबंधक नियुक्त न कर सके तो संबंधित मछली विक्रय संघ अथवा ऋणदाता सहकारी बैंक उस संस्था का काम अपने किसी एक प्रबंधक को सौंप सकती है । सहायक प्रबंधक की नियुक्ति किये जाने की स्थिति में कौन-कौन से काम सहायक प्रबंधक को सौंपना और कौन से काम प्र्रबंधक के पास रख्रा इसका निर्णय सम्बन्धित मछली विक्रय संघ अथवा सहकारी बैंक करेगा ।

अध्यक्ष -

37.	व्यापक सम्मेलन तथा प्रबन्धकारिणी समिति के ठहरावों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने का काम अध्यक्ष तथा प्रबंधक का होगा तथा अन्य कर्मचारियें के काम पर देखभाल रखेंगे और वे अधिकार काम में लावेंगे जो समिति ने उनको दिया हो ।

अपीलें -

38. प्रबन्धकारिणी समिति के ठहरावों के विरूद्ध अपील सम्मेलन में हो सकेगी, व्यापक सम्मेलन को अधिकार होगा कि वह उस अपील को देने से इंकार कर दे, यदि वह समिति के ठहराव पाने की तारीख से दो महिने के भीतर प्रस्तुत न की गई हो ।

प्रबंधक -

39. प्रबंधक:- प्रबंधक के कर्तव्य नीचे लिखे अनुसार होंगे:-

ख्1, व्यापक सम्मेलन तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें बुलाना उनमें उपस्थित रहना और उनकी कार्यवाही पुस्तक में लिखना और उन पर अपने तथा सभापति के हस्ताक्षर कराना । साधारण/विषेष सम्मिलन का कार्यवाही विवरण/कार्यवृत्त साधारण/विषेष सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को सम्मिलन की समाप्ति के 30 दिन के भीतर प्रेषित करना । समिति की कार्यवाही पर समिति की बैठक में उपस्थित समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे ।

ख्2, प्रबन्धकारिणी समिति के ठहरावों के अनुसार वसूली ओर वितरण की व्यवस्था करना और सब हिसाब तथा रजिस्टर जो इन उपविधियों के अनुसार आवष्यक हो रखना।

ख्3, वसूल आई हुई रकमों की रसीदें देना और प्रार्थना पत्र लिखतम आदि जो संस्था के कारोबार के सम्बन्ध में जो जरूरी हो तैयार करना ।

ख्4, सदस्यों को अधिकतम ऋण सीमा तथा मत्स्योद्योग के लिए अल्प अवधि की ऋण सीमा के पत्रक बनाकर समय पर प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत करना ।

ख्5, ऋण जिन कार्यो के लिये दिया गया हो वह उन्हीं कार्यो में खर्च हुआ अथवा नहीं इसका वृत्तान्त ऋण देने के एक मास के भीतर समिति में प्रस्तुत करना ।

ख्6, सदस्यों से मछलियां लेना और उनकी संग्रहित मछली विक्रय संघ की ओर भेजने की व्यवस्था करना ।

ख्7, जिन सदस्यों से ऋण तथा अन्य लेना समय पर जमा न हो उनके प्रकरण वसूली के योग्य कार्यवाही करने हेतु समिति में प्रस्तुत करना ।

ख्8, आडिट तथा निरीक्षण के वृत्तान्त समिति में विचार के लिये रखना, समिति ठहरावों के अनुसार आरोपों का निराकरण करना और समिति की सूचना आडिट अथवा निरीक्षण से दो माह के भीतर सम्बन्धित अधिकारी के पास भेजना ।

ख्9, संस्था की ओर से सब लिखा पढ़ी करना, सदस्यों की सब आवष्यक जानकारी देना और रजिस्टर तथा अन्य कागजातों की प्रतिलिपि प्रमाणित करना ।

ख्10, गत वर्ष के आय-व्यय, हानि-लाभ तथा लेन-देन के पत्रक तथा समिति और सहायक पंजीयक सहकारी समितियां द्वारा निष्चित किये हुए अन्य पत्रक तैयार करना और उनकी प्रतिलिपि 30 जून तक नियमों में निर्धारित अधिकारी के पास भेजना ।

ख्11, संस्था से सम्बन्धित वे अन्य काम करना जो समिति उसको सौंपे ।

ख्12, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर संस्था की विवरणियां यथा - संस्था के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट, लेखाओं का संपरीक्षित विवरण, साधारण सभा द्वारा यथाअनुमोदित अतिषेष व्ययन के लिए योजना, संस्था की उपविधियों की सूची (यदि कोई हो), साधारण निकाय के सम्मेलन की दिनाॅक की सूचना, निर्वाचन कराना (जब अपेक्षित हो जाये), तथा रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करवाना ।

ऋण -

40. ऋण केवल सदस्यों को ही दिया जावेगा । ऋण दो सदस्यों की प्रतिभूति पर दिया जावेगा । यदि उचित प्रबन्ध हो तो वस्तुओं को ऋण के रूप में दिया जावेगा ।

41. ऋण मछली पकड़ने के औजार,, डोंगा इत्यादि खरीदी करने, लायसेन्स शुल्क देने तथा मत्स्योद्योग सम्बन्धी आवष्यक कार्यो के लिये दिया जावेगा ।

42. ऋण उस सीमा के भीतर दिया जावेगा जो व्यापक सम्मेलन के द्वारा निष्चित की गई हो ।

43. ऋण जिस काम के लिये दिया गया हो उसी में लगाना आवष्यक होगा । यदि वह उसमें नहीं लगाया गया तो ऋण की रकम ब्याज सहित तुरन्त वापिस करना होगा ।

44. ऋण के ब्याज की दर 9 प्रतिषत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी । ब्याज ऋण देने की तारीख से ऋण वसूल होने की तारीख तक का लगाया जायेगा जो कम वसूल होगी वह पहिले मुद्दत ऋण में जमा होगी । 31 मार्च को ब्याज का हिसाब कर ब्याज की रकम वसूल आई हुई रकम में ब्याज खाते परिवर्तित की जावेगी ।

45. अल्प अवधि के ऋण के आवष्यकता के पत्रक अप्रैल मई से पहिले समिति तैयार करेगी और ऋणदाता बैंक की स्वीकृति लेकर रखेगी, इस पत्रक में स्वीकृत रकम की सदस्य के द्वारा मांग होने पर उक्त रकम, उस विवरण के अनुसार जो उक्त पत्रक में अंकित हो बिना किसी और जांच के देने का अधिकार अध्यक्ष को और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के किन्हीं दो सदस्यों को होगा । भिन्न-भिन्न कामों के लिये जो पृथक-पृथक रकम स्वीकृत की गई है उनके आपस में कमी वृद्धि करने का अधिकार अध्यक्ष को अथवा समिति के किन्हीं दो सदस्यों को होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में उस एक दर रकम से अधिक ऋण नहीं दे सकेंगे जो कि समिति ने सदस्य के लिये स्वीकृत की हो ।

46. इससे अधिक रकम की आवष्यकता हो तो उसके लिये और मध्यम अवधि के ऋण के लिये निर्धारित फार्म पर पृथक प्रार्थना पत्र देना होगा जिसको स्वीकार करने का अथवा पूर्णतया या अंषतया अस्वीकार करने का समिति को अधिकार होगा, मध्यम अवधि का ऋण उनकी आष्यकता की पूरी जांच करने पर दिया जावेगा ।

47. अल्प अवधि के ऋणों के लिये सदस्यों से उन फार्म पर जो उप पंजीयक सहकारी समितियां द्वारा निर्धारित किये जों उसे पूर्ण रकम की लिखितम और पूर्ण रकम के प्रतिभूति पत्र लिखाये जावेंगे जो सदस्य के लिये स्वीकार हुई हों, इस स्थिति में जब जब ऋण की रकम दी जाये निर्धारित फार्म पर उस रकम की केवल पावती लेना पर्याप्त होगा, मध्यम अवधि के ऋणों के लिये पृथक लिखतम तथा प्रतिभूति का होना आवष्यक होगा ।

48. ऋण जब बैंक से न देते हुए रोकड़ के रूप में दिया जाय तो समिति के एक सदस्य के सामने दिया जाना चाहिये ।

49. ऋण लेने के एक माह के भीतर सदस्यों को प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि जिस काम के लिए उसने ऋण लिया था वह उसी काम में लगाया गया है । यदि समिति को यह मालूम हो कि किसी सदस्य ने ऋण की रकम अन्य काम में लगाई है तो उसे अधिकार होगा कि ब्याज तथा दण्ड ब्याज सहित ऋण की कुल रकम तुरन्त वसूल कर लें । ऋण का अन्य काम में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में समिति का निर्णय अन्तिम होगा ।

50. ऋण की अंषिकायें सदस्य को निष्चित तारीख तक जमा करना होगी । यदि किसी विषेष कारण से वह समय पर कोई अंषिका नहीं दे सकता हैख् तो अवधि देने के हेतु समिति के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये । जबकि समिति को यह विष्वास हो जाय कि ऋणी सदस्य किसी योग्य कारण से जिसमें उसका कोई दोष नहीं है, अपनी अंषिका नहीं दे सकता है तो वह अधिक से अधिक एक वर्ष तक की अवधि बढ़ा सकती है । परन्तु ऐसी अवधि देने से ऋणदाता सहकारी बैंक का ऋण समय पर न दिया जा सकता हो तो अवधि बैंक की स्वीकृति से दी जा सकेगी । प्रतिभूति की लेखी अनुमति के बिना अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी ।

51. यदि अवधि देना स्वीकार न हो तो ऋणी सदस्य तथा उसके प्रतिभू की रकम तुरन्त जमा करने की सूचना दी जावेगी और उस पर भी रकम न जमा हो तो वैधानिक रीति से वसूली की कार्यवाही शुरू की जावेगी । यदि अनाधिकृत बाकी ऋण की वैधानिक रीति से वसूली की कार्यवाही ऋण अनाधिकृत बाकी रहने की तारीख से अधिक से अधिक दो महिने के भीतर न की जाये तो ऐसे ऋण में से बाद में कोई रकम डूबन्त हुई तो उसके लिये समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

52. अनाधिकृत बाकी अंषिका भरने की जो तारीख निष्चित की उस तारीख से और जो ऋण किस काम के लिये लिया गया था उस काम में न लगाया गया हो उस पर ऋण दिये जाने की तारीख से चालू ब्याज के अतिरिक्त दण्ड ब्याज लिया जावेगा, जो 5.00 रूपये प्रतिषत वार्षिक दर से अधिक नहीं होगा ।

53. यदि किसी ऋणी सदस्य का प्रतिभू मर जाय अथवा समिति का यह मत हो कि वह प्रतिभू रहने के अयोग्य हो गया हो तो वह उक्त सदस्य को दूसरा प्रतिभू देने के लिये सूचना देगी, यदि इस प्रकार सूचना मिलने पर वह दूसरा प्रतिभू पर दिया हुआ सब ऋण ब्याज इत्यादि सहित तुरन्त वापिस करना होगा ।

अमानतें -

54. प्रत्येक सदस्य को आवष्यक हो कि जितने मूल्य का माल वह इस संस्था के द्वारा बेचे गये उसका कम से कम दो प्रतिषत भाग अनिवार्य अमानत के रूप में संस्था में जमा करें सदस्य जब चाहे उसे संस्था के अंष मोल लेने में लगा सकता है, इस अमानत के ब्याज की दर व्यापक सम्मेलन निष्चित करेगी जो कि 5 (पांच) प्रतिषत से अधिक नहीं होगी ।

55. संस्था मुद्दती अमानतें जो कि 6 माह से कम की न हो ले सकती है, अमानतों पर ब्याज की दर समिति उस ऋणदाता सहकारी बैंक की अनुमति से जिसके कार्यक्षेत्र में यह संस्था हो निष्चित करेगी अथवा उसमें घट बढ़ करेगी ।

कुटुम्ब सहायक निधि -

56.	उप पंजीयक, सहकारी समितियां की पूर्व स्वीकृति लेकर यह संस्था आगे दी हुई उपविधियों के अनुसार कुटुम्ब सहायक निधि का कार्य चाल कर सकेगी ।

57.	संस्था के प्रत्येक सदस्य की जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक न हो और जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो इस निधि के कार्य में सम्मिलित होना आवष्यक होगा ।

58.	आयु तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में आवष्यक जांच के उपरान्त संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति जो निर्णय देगी वह अन्तिम होगा, प्रबन्धकारिणी समिति यदि आवष्यक समझे तो स्वास्थ्य के सम्बन्ध में डाक्टर का प्रमाण-पत्र मांग सकेगी ।

59.	इस निधि में प्रत्येक सदस्य को आरम्भ में दो रूपये अमानत के रूप में जमा करना होंगे ।

60.	किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना मिलने पर उसकी सदस्यता की जांच करके उसके उत्तराधिकारी को उक्त निधि को सिलक में से उस समय संस्था में जितने सदस्य हों उतने रूपये यथा संभव शीघ्र दे दिये जावेंगे, साथ ही निधि में उपविधि क्रमांक 60 के अनुसार मृत सदस्य की जो अमानत की रकम शेष हो वह भी वापिस कर दी जावेगी, परन्तु यदि मृत सदस्य की ओर संस्था का कुछ लेना हो तो जब तक उसका निर्णय नहीं होता तब तक यह रकमें उत्तराधिकारी को नहीं दी जावेगी ।

61.	इसके पश्चात इस निधि की रकम पूरी करने के लिए प्रत्येक विद्यमान सदस्य से एक रूपये की मांग की जावेगी । मांग की रकम दो मास के भीतर जमा होना चाहिये यदि वह इस अवधि में जमा न हुई तो ऐसे सदस्य की अनिवार्य अमानत अथवा अन्य अमानत की रकम में से यह रकम उक्त निधि में जमा की जावेगी ।

62.	यदि कोई सदस्य संस्था की सदस्यता से अलग हो जाये तो उसकी अमानत की जितनी रकम इस निधि में शेष हो वह उसे लौटा दी जावेगी और उसका नाम इसमें सम्मिलित निधि सदस्यों की सूची में से कम कर दिया जावेगा ।

63.	इस निधि की रकम संस्था के कारोबार में नहीं लगाई जावेगी किन्तु सम्बन्धित सहकारी बैंक में अमानत में जमा रखी जावेगी ।

64.	अन्य सहकारी संस्थाओं की सदस्यता -

ख्1,	यह संस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयादित छिन्दवाड़ा से सम्बद्ध रहेगी जो उसकी आर्थिक सहायता देने वाली संस्था होगी, संस्था को उसके उतने अंष लेना होंगे, जितने की बैंक उपविधि में लेना आवष्यक रखा गया है ।

ख्2,	इस संस्था को उस सहकारी मछली विक्रय संघ का यदि कोई हो सदस्य होना होगा जिसके कि कार्यक्षेत्र में इस संस्था का कार्यक्षेत्र शामिल हो ।

ख्3,	यह संस्था जिला सहकारी संघ मर्यादित छिन्दवाड़ा की अनिवार्य रूप से सदस्य होगी ।

ख्4,	यह संस्था ऐसी अन्य सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध होंगी, जिसे पंजीयक सहकारी संस्थायें निर्देषित करें,, जो संस्था के उद्देष्यों की पूर्ति करें या संस्था के लिये उपयोगी हों ।

हिसाब के रजिस्टर -

65. हिसाब की पुस्तकें और दूसरा सब रिकार्ड मध्यप्रदेष सहकारी समिति नियमों के तथा पंजीयक, सहकारी संस्थायें की आज्ञानुसार रखा जावेगा ।

66. समिति का कोई भी सदस्य कार्यकाल के समय में किसी भी रजिस्टर अथवा हिसाब को जिसका सम्बन्ध उसके लेन-देन से हो देख सकता है ।

संस्था की मुद्रा -

67. संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबंधक के पास रहेगी । लिखितम पर जिस पर यह मुद्रा लगाई जावेगी, समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधक अथवा ऐसे पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्हें समिति ने इस संबंध में अधिकार दिया हो ।

शुद्ध लाभ का वितरण -

68. वार्षिक व्यापक सम्मेलन की स्वीकृति से शुद्ध लाभ का वितरण नीचे लिखे अनुसार किया जावेगा ।

ख्1, कम से कम 25 प्रतिषत रक्षित निधि में जमा किया जावेगा ।

ख्2, मध्यप्रदेष सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमों में नियत किये हुए नियमों के अनुसार जिला सहकारी संघ को अंषदान दिया जावेगा ।

ख्3, सदस्यों को उनके अंष की वसूल आई हुई रकम पर लाभांष (डिविडेन्ड) दिया जावेगा, जिसकी दर 25 प्रतिषत से अधिक नहीं होगी ।

ख्4, शेष में से 50 प्रतिषत उन सदस्यों की जिन्होंने संस्था को अथवा संस्था के द्वारा माल बेचा हो उस कारोबार के परिमण में जो उन्होंने संस्था के साथ किया हो बोनस देने में खर्च किया जावेगा ।

ख्5, शेष में से म.प्र.सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 43 के अनुसार लाभ की अधिक से अधिक 5 प्रषित रकम परोपकार सम्बन्धी कार्यो में खर्च की जा सकेगी

(5)(क) संस्था के लाभ की 2 प्रतिषत राषि संस्था के सदस्यों एवं कर्मचारियों के प्रषिक्षण हेतु प्रषिक्षण निधि में प्रत्येक वर्ष अंतरित की जावेगी ।

ख्6, शेष रकम में से भवन निर्माण आदि अन्य निधियां बनाई जा सकेगी ।

रक्षित निधियां -

69. उन रकमों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों में बताई गई है प्रवेष शुल्क दण्ड ब्याज तथा अन्य किये हुए अंषों की रकम रक्षित निधि में जमा की जावेगी । रक्षित निधि संस्था की सम्पत्ति होगी इस निधि का उपयोग संस्था की हानि होने पर इसके पूर्ति के लिए किया जावेगा, परन्तु इसकी मंजूरी उस क्षेत्र की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा उप पंजीयक सहकारी समितियां से प्राप्त करना आवष्यक होगा । कोई भी सदस्य इस निधि में से कोई भाग

पाने का अधिकारी नहीं होगा, इस निधि की रकम मध्यप्रदेष सहकारी समिति अधिनियम 1960 तथा उसके अन्तर्गत बने हुये नियमों में दिये गये आदेषों के अनुसार लगाई जावेगी ।

70. संस्था टूटने पर संस्था का सब देना चुकाने के बाद जो रकम शेष रहेगी उसका विनियोग मध्यप्रदेष सहकारी समिति अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार किया जावेगा ।

विवाद -

71. विवाद जो इन उपविधियों अथवा संस्था के कारोबार के सम्बन्ध में मध्यप्रदेष सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 64 के अन्तर्गत हो, निर्णय के लिये उप पंजीयक सहकारी समितियां को प्रस्तुत होंगे जो उक्त विधान तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार उसका निर्णय करेंगे ।

संषोधन -

72. सिवाय व्यापक सम्मेलन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के इन उप-विधियों में से किसी भी उपविधि का संषोधन नहीं हो सकेगा । व्यापक सम्मेलन बुलाने के सूचना पत्र में यथोचित संषोधन लिखा जायेगा और सूचना-पत्र कम से कम पन्द्रह दिन पहिले दिया जावेगा । ऐसा संषोधन उस समय तक व्यवहार में न आ सकेगा जब तक कि उप पंजीयक सहकारी समितियां उसे स्वीकृति करने उसे पंजीकृत न कर दे।

सूचना पत्र की तामीली -

73. इन उपविधियों में जहां बताया गया है कि किसी भी सदस्य को लेखी सूचना पत्र दिया जावेगा तो ऐसे सूचना पत्र का ऐसे सदस्य को पावती लेकर स्वयं दिया जाना अथवा उसके उस पते पर जो संस्था के सदस्यों के रजिस्टर में नोट किया हुआ हो डाक से भेज देना पर्याप्त तामील होना समझा जावेगा ।

विविध -

74. अन्य बातें जिनका पृथक उल्लेख इन उपविधियों में न दिया गया हो मध्यप्रदेष सहकारी समिति अधिनियम 1960 तथा उसके अन्तर्गत नियमानुसार की जावेगी ।

75. पंजीयक का अर्थ उन अधिकारियों से होगा जिन्हें मध्यप्रदेष सहकारी समिति अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन इस संस्था से सम्बन्धित पंजीयक के अधिकार प्रदत्त हों ।

पंजीकृत पता व संस्था के नाम का संप्रदर्षन:-

76. म.प्र.सहकारी समितियां नियम 1962 के नियम 22(1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर संचालक मण्डल संस्था का पता पंजीयक को प्रेषित करेगा । नियम 22(3) में वर्णित अनुरूप संस्था के पंजीकृत पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना संचालक मण्डल द्वारा पंजीयक को 30 दिन के भीतर दी जावेगी । पंजीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन पंजीकृत करने के उपरांत ही संषोधित माना जावेगा ।

संस्था अपने पंजीकृत कार्यालय जहां जहां वह कारोबार करती है वहां, संस्था द्वारा जारी की गई समस्त सूचनाओं एवं अधिकारिक प्रकाषनों में, अपनी समस्त संविदाओं पर, कारोबारी पत्रों पर, माल के लिये आदेषों में, बीजक, लेखाओं के

विवरण पर और समस्त कारोबारी पत्रों पर संस्था का नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता और " मध्यप्रदेष सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन रजिस्टीªकृत " अनिवार्य रूप से लिखेगी ।

76.(क) संस्था अपने रजिस्टर्ड पते पर दिन प्रतिदिन का कारोबार करेगी तथा रजिस्टर्ड पते पर संस्था से संबंधित अभिलेख संधारित करेगी ।

.........000........